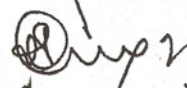


-4-

विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजबाला वर्मा) 20.4.2009
सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।
दिनांक..... 20.4.09

ज्ञापांक. 64(प्रशा.सहा.) 03/09..... 1318/01

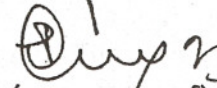
प्रतिलिपि:- महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव,
झारखण्ड विधान सभा को इस कंडिका-7 के आलोक में कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजबाला वर्मा) 20.4.2009
सचिव,

ज्ञापांक. 64(प्रशा.सहा.) 03/09..... 1318/01

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।
दिनांक..... 20.4.09

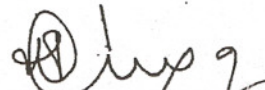
प्रतिलिपि:- उप महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजबाला वर्मा) 20.4.2009
सचिव,

ज्ञापांक. 64(प्रशा.सहा.) 03/09..... 1318/01

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।
दिनांक..... 20.4.09

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस
आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक
में करके राजपत्र की 100 प्रतियां वित्त प्रशाखा-5 को भी उपलब्ध करावें।


(राजबाला वर्मा)
सचिव,

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

20.4.2009

Pen-I. Gen-148-22/3/9/09 / Pen III Gen No -1276 dt 22-9-09

पत्रांक : वि०पें०-१०-४१/२००१.....

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

राज्य के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के देय चिकित्सा भत्ता में अभिवृद्धि।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3025/वि० दिनांक 21.08.2001 के द्वारा राज्य के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को 100/- (एक सौ) रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता अनुमान्य किया गया है। दिनांक 01.01.2006 से राज्यकर्मियों को पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान स्वीकृत करने के पूर्व राज्यकर्मियों को भी राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों के समान 100/- (एक सौ) रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के रूप में भुगतान प्राप्त हो रहा था। वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्यकर्मियों का चिकित्सा भत्ता 100/- (एक सौ) रुपये से बढ़ाकर 300/- (तीन सौ) रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। राज्यकर्मियों की भाँति राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी चिकित्सा भत्ता अनुमान्य किये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन था।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों का चिकित्सा भत्ता 100/- (एक सौ) रुपये से बढ़ाकर 300/- (तीन सौ) रुपये प्रतिमाह स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

3. यह व्यवस्था आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इसे झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

(राजबाला वर्मा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : वि०पें०-१०-४१/२००१.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, राँची को इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं उसकी 100 प्रतियाँ, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु अग्रसारित।

ह०/-

(राजबाला वर्मा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : वि०पें०-१०-४१/२००१.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(राजबाला वर्मा)
प्रधान सचिव

5-8-09
Pen 2
L-13688
bml
urgent
Circulate to
Dl AG's.
89 22/9/17

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को 01 जुलाई 2009 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि0, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-17 (ए0) (वी0) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अन्य सुविधाएँ सहित महंगाई राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 से राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत अनुमान्य है।

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के पत्र संख्या - 42/12/09 पी0 एण्ड पी0 डब्लू0 (जी0) दिनांक 23.09.2009 के द्वारा केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.07.2009 के प्रभाव से 22% (प्रतिशत) से बढ़ाकर 27% (प्रतिशत) महंगाई राहत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों के अनुरूप राज्य सरकार ने भी राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01.07.2009 के प्रभाव से महंगाई राहत 22% (प्रतिशत) से अभिवृद्धि कर 27% (प्रतिशत) महंगाई राहत के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

5. उक्त दर पर महंगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवा निवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन के समेकित पेंशन पर किया जायेगा। एतदर्थ पेंशन की रूपांतरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। विहित दर पर महंगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महंगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर लिया जायेगा।

6. महंगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय महंगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3556/वि0, दिनांक 09.05.1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थितियों को छोड़कर महंगाई राहत के शेष सभी असैनिक पेंशन भोगियों को देय होगा, जिन्हें



12/10/09
fcm-2
L-20809

Saur (DP)

Qor-3

क्षतिपूर्ति/बार्धक्य निवृत्ति/असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक/पारिवारिक/असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय महँगाई राहत का भुगतान अनुमान्य होगा।

8. पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलंब के परिहार्य हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम-344 (I) के तहत राज्य के अंतर्गत बिना महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशन भोगियों, द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी महँगाई राहत की राशि का भुगतान करेंगे। साथ ही, सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंको के माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियां भेज दिये जाये।

9. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलंब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखंड सरकार, वित्त विभाग को भी दी जाय।

10. 01 जुलाई 2009 के प्रभाव से स्वीकृत इस महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महँगाई राहत की राशि शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

इस आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय की सहमति के पश्चात् अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राजबाला वर्मा)

सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

राँची, दिनांक 10/10/09

3378/1
ज्ञापांक : वि0प्र0 6ए (महँगाई भत्ता) - 03/2009.....

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, एवं झारखंड वीर चंद पटेल पथ, पटना/ हिनु,
राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजबाला वर्मा)

सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

10/10/2009